रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1973/श्रावण 25, 1895
No. 189] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1973/SRAVANA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th August 1973

SUBJECT.—*Import Policy for iron and steel items for the period April, 1973—March, 1974.*

No. 135-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the provision contained in Appendix 41 of the I.T.C. Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1973—March, 1974, in terms of which applications from actual users whether in the large scale or small scale sectors are to be accompanied by a certificate of consumption duly certified by the Chartered Accountant or Cost Accountant (in practice) in the proforma given in Annexure I of the aforesaid Appendix 41.

2. It has been decided that in respect of applications for stainless steel, the consumption certificate should be furnished in the proforma appearing in Appendix 2 of the I.T.C. Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974 and not in the proforma given in Annexure I of Appendix 41. In respect of other items of iron and steel, the consumption certificate may be furnished in the form prescribed in Annexure I of Appendix 41 of the Red Book for April, 1973—March, 1974.

3. It is also clarified that in the case of non-priority industries in the small scale sector whose entitlement in terms of the import policy for April, 1973—March, 1974 is for a value less than Rs. 50,000/- the certificate of consumption need not be furnished and import applications will be considered as per policy, in the same manner as for non-steel items.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 अवधि के लिए लोहा तथा इस्पात मदों के लिए आयात नीति ।

संख्या 135-आई०टी०सी० (पी० एन०)/73.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट 41 में दी गई व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा चाहे वे बृहत् पैमाने क्षेत्र के हों या लघु पैमाने क्षेत्र के भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ उपर्युक्त परिशिष्ट 41 के अनुबन्ध 1 में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल (व्यवसायी) द्वारा विधिवत् सत्यापित खपत के प्रमाण-पत्र भेजे जाने हैं ।

2. यह निश्चय किया गया है कि जंगावरोधी इस्पात के सम्बन्ध में खपत प्रमाणपत्र अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट में आए हुए प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए और न कि परिशिष्ट 41 के अनुबन्ध 1 में दिए गए प्रपत्र में लोहा तथा इस्पात की अन्य मदों के सम्बन्ध में खपत प्रमाण-पत्र अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए रेड बुक के परिशिष्ट 41 के अनुबन्ध 1 में निर्धारित प्रपत्र में ही भेजे जा सकते हैं ।

3 इसे भी स्पष्ट किया जाता है कि लघु पैमाने क्षेत्र के उन प्राथमिता प्राप्त उद्योगों के मामले में जिनकी हकदारी अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 के लिए आयात नीति की शर्तों के अनुसार 50,000/- रुपये से कम मूल्य के लिए है, उन्हें खपत प्रमाण-पत्र भेजने की जरूरत नहीं है और आयात आवेदन-पत्रों पर विचार नीति के अनुसार ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि गैर-इस्पात मदों के लिए किया जाता है ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973